न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0 1, बांदा

सत्र वाद सं0– 925 / 2020

राज्य बनाम सन्तू शर्मा आदि

09.05.2022

प्रार्थनापत्र 6ख अन्तर्गत धारा 193 दं0प्र0सं0 पर आदेश

पत्रावली आज वास्ते 6ख पर आदेश हेतु नियत हैं।

यह प्रार्थनापत्र वादी मुकदमा संतोष कुमार की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के माध्यम से अग्रगसारित कराये धारा 193 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत इन आधारों पर प्रस्तुत किया है कि वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण सन्तू शर्मा एवं तीन अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट उनको नामजद करते हुये पंजीकृत करायी थी तथा सभी अभियुक्तों को अपराध में संलिप्त होना दर्शाया था तथा इस संबंध में साक्ष्य भी दिया था, परन्तु विवेचक ने गलत लोगों के बयान लिखते हुये तथा बिना सत्यता का पता लगाये अभियुक्तगण से मिलकर उनकी गिरफ्तारी होने के उपरान्त भी शिवा शर्मा व सीमा को विवेचना में निकाल दिया गया है तथा केवल सन्तू शर्मा एवं बसन्त लाल के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है जब कि निकाले गये दोनों अभियुक्त शिवा शर्मा एवं सीमा शर्मा के विरूद्ध भी विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध था तथा विद्वान न्यायालय को प्रसंज्ञान लेते समय साक्ष्य का अवलोकन करते हुये इन दोनों अभियुक्तगण शिवा शर्मा व सीमा शर्मा के विरूद्ध भी प्रसंज्ञान लेना चाहिये था, परन्तु न्यायालय ने इस पर प्रसंज्ञान नहीं लेते हुये केवल आरोपपत्र प्रेषित किये गये अभियुक्तगण सन्तू एवं बसन्त लाल के विरूद्ध ही प्रसंज्ञान लिया है जब कि अभियुक्तगण शिवा शर्मा एवं सीमा के विरूद्ध भी पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा दोनों ही अभियुक्तगण अन्य अभियुक्तगण के साथ अपराध कारित करने में सम्मिलित रहे है एवं इस न्यायालय को भी धारा 193 दं0प्र0सं0 में उनके विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, क्यों कि इस न्यायालय को पत्रावली कमिटल के पश्चात् स्थानान्तरण के पश्चात् प्राप्त हुई है तथा उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र के लम्बित रहने के पश्चात् भी विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत रूप से आरोप विरचित किया गया है तथा उनके आवेदन का निस्तारण नहीं किया है जब कि यह आवेदन विधिक रूप से पोषणीय है तथा इस न्यायालय को भी प्रसंज्ञान के स्तर पर आदेश पारित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा इन आधारों पर अभियुक्तगण शिवा शर्मा व सीमा शर्मा को अन्य अभियुक्तगण के साथ धारा 147, 148 323, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 सपठित धारा 34 के अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की है। अपने कथनों

के समर्थन में वादी की ओर से शपथपत्र व विधि व्यवस्था **धर्मपाल व अन्य तथा स्टेट आफ हरियाणा व अन्य 2013 (3) जे0आई0सी0 638 सुप्रीम कोर्ट** को प्रस्तुत किया है।

अभियुक्तगण की ओर से आवेदन पर आपत्ति करते हुये यह तर्क दिया गया हैं कि साजिश के तहत सभी अभियुक्तों को नामजद किया गया था तथा उनको गिरफ्तार भी किया गया था, परन्तु विवेचना के दौरान अभियुक्त शिवा शर्मा व सीमा शर्मा के विरूद्ध उनकी अपराध में संलिप्तता से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है तथा उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं पायी गयी है। इस कारण उनके विरूद्ध धारा 169 दं0प्र0सं0 में रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है केवल रंजिश एवं पार्टीबन्दी के आधार पर वादी ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है तथा आवेदन हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है।

पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका हैं तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी मुकदमा द्वारा सन्तू शर्मा, बसन्त लाल शर्मा, शिवा शर्मा एवं सीमा शर्मा को नामजद करते हुये प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी थी तथा सभी अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है, परन्तु विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य से अभियुक्तगण सीमा शर्मा एवं शिवा शर्मा के विरूद्ध साक्ष्य नहीं पाये जाने पर केवल अभियुक्त सन्तू शर्मा एवं बसन्त लाल के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.08.2020 के द्वारा इन्हीं दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है तथा साथ ही साथ यह भी आदेश पारित किया गया कि अभियुक्त शिवा शर्मा एवं सीमा शर्मा का घटना में संलिप्त होना नहीं पाया गया है तथा विवेचक द्वारा इनके विरूद्ध प्रेषित धारा 169 की रिपोर्ट के आधार पर उनको पचास–पचास हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया गया है। इस प्रकार प्रसंज्ञान के स्तर पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सी0डी0 का अवलोकन करते हुये आदेश पारित किया गया है।

जहॉ तक विवेचक द्वारा सीमा शर्मा व शिवा शर्मा के विरूद्ध धारा 169 की रिपोर्ट प्रेषित किये जाने एवं घटना में संलिप्त होने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी ने अपनी तहरीर एवं बयान में सन्तू द्वारा अपने भाई पर भाले से प्रहार करने तथा बसन्त के हाथ में लिये तमंचे से फायर करने का आरोप लगाया है तथा उसके पश्चात् शिवा शर्मा को लाठी एवं सीमा को पत्थर से मारपीट करने का भी कथन किया है।

पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आलाकत्ल एक भाला भी बरामद किया गया है तथा अन्य कोई हथियार बरामद होना नहीं दर्शाया गया है। मृतक की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार छाती में सिला हुआ घाव, सिर में पीछे की तरफ 1 गुणा 1 सेमी0 फटा हुआ घाव तथा बांयी भुजा पर घुर्सट के निशान एवं दांये घुटने पर भी घुर्सट का निशान पाया गया है तथा अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी है। पंचनामा के दौरान भी चोटों में सिर के पीछे खूलनालूदा घाव, बांये साइड में सीने में अस्पताली पट्टी व दाहिने हाथ की पुस्त पर अस्पताली टेप व पट्टी व दांये पैर में घुटने में रगड़ का निशान पाया गया है एवं इस प्रकार पंचनामा एवं शव विच्छेदन आख्या में लगभग समान ही चोट पायी गयी है तथा शव विच्छेदन आख्या के अनुसार एन्टी मार्टम चोटों से उत्पन्न हेमरेज एवं शॉक से मृत्यु होना दर्शाया गया है तथा इन चोटों को सख्त कुन्दाले से आना दर्शाया गया है।

विवेचना के दौरान जो स्वतंत्र साक्षीगण के बयान विवेचक द्वारा अंकित किये गये है उनमें गवाह देव सिंह ने यह बयान दिया है कि सीमा व शिवा शर्मा झगड़े के स्थान पर नहीं गये थे। इसी प्रकार ग्रामवासी पंकज धुरिया ने भी यही कथन किया है कि शिवा एवं सीमा नल के पास खड़े थे तथा झगड़े में नहीं गये थे तथा मृतक को सन्तू ने भाला कारना भी सुना था। इसी प्रकार साक्षी बृजभूषण ने भी यही साक्ष्य दिया है कि झगड़े के समय सीमा व शिवा वहॉ पर मौजूद नहीं थे। इसी प्रकार का बयान साक्षी बिहारी लाल ने भी दिया है। चश्मदीद साक्षी श्रीमती सुनीता एवं श्रीमती रेखा एवं राम अवतार ने यद्यपि अन्य अभियुक्तों के साथ सीमा एवं शिवा का घटना में संलिप्त होना बताया है, लेकिन मौके से कोई पत्थर व लाठी का बरामद नहीं होना अन्य परिक्षित साक्षीगण के साक्ष्य की इस रूप में पुष्टि करता है कि घटना के समय शिवा शर्मा एवं सीमा शर्मा मौके पर नहीं थे तथा घटना होने के समय मृतक के भाई विष्णु दत्त एवं संतोष कुमार आपस में बाते कर रहे थे तथा कह रहे थे कि सन्तु व बसन्त ने लड़कू को मारा है जिससे उसे चोटें आयी है।

इस प्रकार विवेचक ने जिन साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर इन दोनों अभियुक्तगण के नाम निकाले है उनके साक्ष्य के आधार पर तथा उनके संबंध में दर्शाये गये हथियार की बरामदगी नहीं होने के आधार पर विवेचक द्वारा जो निष्कर्ष लिया गया है तथा जिसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान के स्तर पर संज्ञान में लेते हुये प्रसंज्ञान का आदेश पारित किया गया है उसके परिपेक्ष्य में यही स्पष्ट हो रहा है कि विवेचक द्वारा लिया गया निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित है तथा इस कारण इस स्तर पर अभियुक्त शिवा शर्मा एवं सीमा शर्मा को तलब किये जाने का कोई न्यायिक आधार नहीं है तथा इस कारण आवेदन 6ख निरस्त किये जाने योग्य हैं

<u>आदेश</u>

वादी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6ख अन्तर्गत धारा 193 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली में आरोप पूर्व में विरचित हो चुके है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 24.05.2022 को पेश हो।

(मुहम्मद अशरफ अंसारी)
दिनांक–09.05.2022 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बॉदा।
(J.O. Code No. U.P. 5862)